निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या :209/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. कमला देवी पुत्र भोलू राम
2. नाथी देवी पत्नी भोलूराम
3. राजकुमार पुत्र भोलूराम
4. रामलाल पुत्र भोलूराम

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम बिन्दायका, तहसील व जिला जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. उप खण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम पीठासीन अधिकारी श्री राकेश कुमार मीणा आर॰ ए॰ एस॰
2. प्रमोद ढाका पुत्र रामनाथ ढाका जाति जाट, निवासी प्लाट नम्बर 23, बृज कालोनी, सिविल लाइन्स, जयपुर ।
3. तहसीलदार जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 141/2021 ब उनवानी कमला व अन्य बनाम प्रमोद व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री राजकुमार गठाला अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री भगवान सहाय शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 05.10.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष प्रकरण संख्या 141/2021 ब उनवानी कमला व अन्य बनाम प्रमोद व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से विन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नहीं हुई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवान सहाय शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त वाद के साथ प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया गया, परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 जो कि राजनैतिक व धनबल व भुजबल में अधिक होने से अप्रार्थी संख्या 1 को अपने प्रभाव में लेकर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को दिनांक 20.06.2022 को खारिज करवा लिया। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के खारिज होने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम में प्रार्थीगण को एलानिया धमकी देता है कि मैने जिस प्रकार अपका प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करवा लिया है, उसी प्रकार आपका वाद भी खारिज करवा दूंगा । मेरी राजनैतिक पहुंच पर तक है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भी उक्त प्रकरण में विशेष रूची रखते है जिसकी सत्यता इससे भी साबित होती है कि प्रकरण में अधिवक्ता को नियत दिनांक मे तारीख पेशी अंकित नही करवा कर अगले दिन तारीख अंकित करने व छोटी छोटी तारीख पेशी देकर प्रकरण का निस्तारण अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 2 जो कि एक राजनैतिक पहुंचा वाला व्यक्ति है जिसकी पहुंच प्रशासनिक अधिकारियों से भी है और उक्त जानकारी के चलते वह प्रकरण का निस्तारण अपने मनमाफिक अपने पक्ष में करवाने को आमदा है। विधि का यह सुव्यवस्थित सिद्वान्त है कि बिना पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता । इस कारण प्रार्थीगण को कोई न्याय मिलने की दूर दूर तक आशा नही है । इसलिए प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूंठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है, परन्तु चूंकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर की है। इसलिए न्यायहित में इस प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाता है।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

8. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 141/2021 ब उनवानी कमला व अन्य बनाम प्रमोद व अन्य को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) को अन्तरण किया जाता है।
9. उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।
10. निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण (सहायक कलक्टर) को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर शुमार फैसल

निर्णय आज दिनांक 05.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर